XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
09.09.2011		

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व विविध वाद संख्या–67/11

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0)

1. मो0 मुंगिया देवी, पति–स्व0 राजेन्द्र उरांव
2. खगेन्द्र कुमार उरांव, पिता–स्व0 राजेन्द्र उरांव

दोनों साकिन–राजधाट गरैला, थाना–मीरगंज, प्रखण्ड–धमदाहा, जिला–पूर्णियाँ............

प्रार्थीगण

बनाम्

बिहार सरकार ....

विपक्षी

आदेश

यह विविध वाद बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0) अन्तर्गत आवेदिकाद्वारा अपनी लड़की की शादी एवं कर्ज चुकाने हेतु श्रीमती सुलोचना देवी, पति–श्री राम उदागर राम, संझाधाट, थाना–मीरगंज, जिला–पूर्णियाँ के साथ मौजा–रामधाट गरैल, थाना नं0–120, खाता संख्या–394, खेसरा नं0–2168, रकवा–0.74 1/4 एवं खाता संख्या–396, खेसरा नं0–2170, रकवा–1.14 1/2 एकड़ कुल–1.89 1/4 एकड़ जमीन बिकी करने हेतु अनुमति के लिये दायर किया गया है।

इस संबंध में अंचलाधिकारी, धमदाहा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी है। अंचलाधिकारी, धमदाहा ने अपने पत्रांक 267, दिनांक 05.05.2011 द्वारा प्रतिवेदित किये है, जो निम्न प्रकार है :–

आवेदक के पास कुल धारित जमीन

जमाबन्दी	मौजा/थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5
1. शनिचर उरांव, पिता–महादेव उरांव, सा0–राजधाट गरैल	राजधाट गरैल 120	1005	1739, 1740, 1770	0.83
2. रामलाल उरांव, पिता–शनिचर उरांव, सा0–राजधाट गरैल	राजधाट गरैल 120	908 910 911		0.45 1.70 2.78 1/2
			कुल :	5.76 1/2

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1		3

जमाबन्दी	मौजा/थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5
1. मो0 मुंगिया देवी, पति– राजेन्द्र उरांव, सा0–राजधाट गरैल	राजधाट गरैल 120	394	2168	0.74 3/4
		396	2170	1.14 1/2
			कुल :	**1.89 1/4**

बिकी की जानेवाली भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5
राजधाट गरैल	120	394	2168	0.74 3/4
		396	2170	1.14 1/2
			कुल :	**1.89 1/4**

प्रश्नगत जमीन बिकी के पश्चात आवेदिका के हिस्से में 1.00 एकड़ जमीन बच जाता है। आवेदिका अपनी लड़की की शादी एवं अन्य कर्ज के भुगतान हेतु जमीन बिकी करना चाहती है। प्रश्नगत जमीन आवेदिका के दखल–कब्जा में है, जिसका लगान भुगतान भी वर्ष 2010–11 तक किया हुआ है। उक्त जमीन बिकी के बाद भी आवेदिका भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते है। प्रश्नगत भूमि बिहार सरकार, भूदान, भू–हदबन्दी, बन्दोबस्ती वाद से मुक्त है। आवेदिका मो0 मुंगिया देवी, पति–स्व0 राजेन्द्र उरांव की पत्नी एवं शनिचर धांगर एवं एवं रामलाल धांगर ससुर है। अंचलाधिकारी, धमदाहा द्वारा जमीन बिकी करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदिका को अपनी पुत्री की शादी करने हेतु एवं अन्य कर्ज भुगतान हेतु प्रस्तावित भूमि के बिकी की अनुमति दी जाती है। इस निर्णय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ